Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10.
A.B.P.No. 800/2026, Hasanganj P.S. Case No.- 69/2026
Noor Jahan V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-800/2026

Hasanganj P.S. Case No- 69/2026

1 नूर जहां, पति शेख मन्नु उर्फ मन्नान उ0त0 35 वर्ष,

2 टुनटुना खातुन उर्फ कुलसुन खातुन, पति शेख युनुस उ0त0 35 वर्ष
साकिन – उत्तर टोला डेहरूआ,, थाना– हसनगंज,
जिला– कटिहार। .....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार। .....अभियोजन।

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री.. सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ..... बिकास कुमार झा।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 20.07.2026

आदेश

1 प्रस्तुत अग्रिमा जमानत आवेदन दिनांक 30.05.2026 को उपरोक्त की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री बिकास कुमार झा द्वारा दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।

2 अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक मो0 नौशाद ने थानाध्यक्ष, हसनगंज को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 04.03.2026 को समय करीब 03:30 बजे दिन में घरेलू विवाद को लेकर शेख मन्नू, नूरजहां, खैरून निशा, मर्सबा खातून, टूनटूना खातून, हल्ला–गुल्ला कर सभी लोग हमारे साथ उलझ गए। सभी हमको पकड़ लिए तथा शेख मन्नू लाठी उठा कर जान से मारने के लिए सर पर प्रहार किया। जिससे मेरा सर फट गया तथा मैं खून से लथ–पथ होकर मुर्क्षित होकर गिर गया। हल्ला सुनकर बचाव के लिए मेरी पत्नी बिजली खातून आयी तो उसे लात–घुस्सा से काफी मारा है तथा गले का चॉदी का सिकड़ी ले लिए तथा गला में कपड़ा कस कर गला दबाने लगे तभी आसपास के लागों द्वारा छुड़ाया गया। लोगों द्वारा छुड़ाने के बाद उनलोगों द्वारा जान से मार देने के लिए धमकी दिया गया तथा गाली गलौज किया गया। तभी मेरे संबधी भी आ गये तथा मेरा इलाज कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसनगंज लाया गया। ईलाज कराने के बाद थाना आकर लिखित दे रहा हूँ।

3 जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बिकास कुमार झा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4 आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बिकास कुमार झा द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उभय पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5 विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह ने आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है ऐसी स्थिति में वे अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं।

6 उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक मो0 नौशाद के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध हसनगंज थाना कांड संख्या

69/2026 दिनांक 04.03.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109, 74, 351(2), 351(3), 352, 3(5), 303(2) के अर्न्तत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आवेदकगण पर आरोप है कि घरेलू विवाद को लेकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ मारपीट किया है, जिससे वह जख्मी हो गया। कांड दैनिकी के कंडिका 2, 3, 4, 5 में साक्षियों के बयान से विदित है कि आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। शेख मन्नु उर्फ मन्नान पर लाठी से मारकर जख्मी किये जाने का आरोप है। शेख मन्नान इस मामले में आवेदक नहीं है। कंडिका 43, 44 से विदित है कि जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। कांड दैनिकी में आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है तथा उभय पक्षों के बीच घरेलू विवाद को लेकर घटना घटित हुई है। घटना के संबंध में उभय पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया हैं।

7 उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदिका 1. नूर जहां एवं 2. टुनटुना खातुन उर्फ कुलसुन खातुन को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order 20-07-2026
Date of Reserving order 20-07-2026
Date of uploading 20-07-2026
Uploaded by